

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2227677 ई-मेल jdagr\_atc1@rediffmail.com

क्रमांक: एफ 8(5)/एटीसी/कृ0 पुर0/राज्य योजना/2020-21/9837-80

दिनांक: 10/8/20

उप निदेशक कृषि (वि0),  
जिला परिषद्, (समस्त).....

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती के क्षेत्र में जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों में से पुरस्कार हेतु एक कृषक का चयन कर भिजवाने बाबत।  
प्रसंग:-कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्रांक 7350-7502 दिनांक 05.05.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों में से प्रत्येक जिले से पुरस्कार हेतु एक कृषक का चयन करने के लिए चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस हेतु राज्य के दो मुख्य समाचार पत्रों में शीघ्र ही विज्ञापित जारी की जा रही है। कृषक को आवेदन प्रपत्र उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद नि: शुल्क उपलब्ध करावें। कृषक आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट [www.krishi.rajasthan.gov.in](http://www.krishi.rajasthan.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कृषक आवेदन प्रपत्र की पूर्ति कर संबंधित जिले के कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद में दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करा सकते हैं। योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करावें ताकि अधिक से अधिक कृषक भाग ले सकें। इस पत्र के साथ वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों हेतु आवेदन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिशा-निर्देशानुसार जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों में से पुरस्कार हेतु एक कृषक का चयन कर संक्षिप्त टिप्पणी जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर द्वारा की गई अनुशंसा, चयनित कृषक का मूल आवेदन प्रपत्र मय दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित मय सीडी के संयुक्त निदेशक, कृषि (शस्य) एटीसी अनुभाग, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर में 15 नवम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य स्तर पर समस्त जिलों में से तीन कृषकों का चयन प्रक्रिया अनुसार पुरस्कार हेतु चयन किया जा सके।

संलग्न- आवेदन प्रपत्र

(आर. के. यादवेन्द्र)

संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) एटीसी

क्रमांक: एफ 8(5)/एटीसी/कृ0 पुर0/राज्य योजना/2020-21/9837-80

दिनांक: 10/8/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्ड .....
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (एसीपी) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों हेतु आवेदन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है। अतः आप संलग्न आवेदन प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट [www.krishi.rajasthan.gov.in](http://www.krishi.rajasthan.gov.in) पर अविलम्ब अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(आर. के. यादवेन्द्र)

संयुक्त निदेशक कृषि शस्य (एटीसी)

वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों हेतु आवेदन प्रपत्र

उप निदेशक कृषि (वि०),  
जिला परिषद्.....

कृषक का फोटो

1. कृषक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जाति .....
4. ग्राम/ग्राम पंचायत .....
5. पंचायत समिति .....
6. तहसील .....
7. जिला .....
8. दूरभाष/मोबाइल संख्या.....
9. भूमि विवरण (है०)  
अ. कुल क्षेत्रफल जिसमें कृषक द्वारा खेती की जाती है (है०).....  
ब. जैविक खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल (है०) .....
10. जैविक खेती के अन्तर्गत ली गई प्रमुख फसले एवं क्षेत्रफल  

मौसम	प्रमुख फसले	क्षेत्रफल (है०)
अ. खरीफ	.....	.....
ब. रबी	.....	.....
स. सिंचाई का स्रोत	.....	.....
11. जैविक खेती कब से कर रहा है एवं प्रमाणीकरण अवधि मय दस्तावेज.....
12. क्या कृषक द्वारा जैविक आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। यदि हां तो निम्न का विवरण दें:-  
 अ.जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक आदि का स्वयं निर्माण एवं उपयोग.....  
 ब.वर्मी कम्पोस्ट इकाई/कम्पोस्ट पिट/अन्य परम्परागत जैविक आदान उत्पादन इकाई/काढा उत्पादन इकाई.....  
 स.फसल चक्र एवं हरी खाद का उपयोग  
 द.जैविक खेती से संबंधित कोई नवाचार उपयोग एवं अन्य जैविक गतिविधि.....  
 य.अन्य जैविक आधारित गतिविधियाँ.....  
 र.क्या कृषक किसी राजकीय/निजी जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत है/नहीं .....
13. अ. जैविक खेती संबंधी तकनीकी साहित्य की जानकारी है/नहीं.....  
 ब.राज्य/जिला स्तर पर जैविक खेती संबंधित प्राप्त प्रशिक्षणों/अवार्ड/पुरस्कारों का विवरण.....
14. अन्य जानकारी, जो कृषक देना चाहता है मय दस्तावेज संलग्न करे।.....
15. जैविक खेती पूर्व मृदा स्वास्थ्य की स्थिति तथा जैविक खेती उपरान्त मृदा जांच रिपोर्ट.....

कृषक के हस्ताक्षर